

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 113/16

सन् 2016

बउनवानी:-शंकर पुत्र मादया जाति नाथ निवासी पाली तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार

(अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार खण्डार की मिसल संख्या 112/16 निर्णय
दिनांक 15.2.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री मुकेश बंसल
2. श्री छोटू सिंह गुर्जर

वकील अपीलान्त
पैरोकार राजस्व

-: निर्णय :-

दिनांक 31.1.2017

अपीलान्त द्वारा नायब तहसीलदार खण्डार की मिसल संख्या 112/16 में पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित कि गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस को गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2072 में वाके ग्राम पाली तहसील खण्डार की 40का0च0 सिवायचक की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1059/328 रकबा 2 बीघा भूमि पर सरसों की फसल काशत कर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण इस आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वास्तु सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दैते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बावत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त पूर्व मिसल संख्या 442/15 निर्णय दिनांक 7.9.2015 में पारित बेदखली आदेश के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि अपीलान्त का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काशत नहीं है किन्तु पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे ही कयास मात्र के आधार पर रिपोर्ट अतिक्रमण पेश कर दी है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलान्त के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के कियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। जिसके आधार पर अपीलान्त को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर

(श्री. सी. वमा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नहीं दिया गया। जिसके कारण अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की श्रेणी में नहीं आता है एवं अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारवास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.3.2016 को पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर अपीलान्त की अनुपस्थिति में घर आने पर घर वाले के बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों का पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस का तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के भाई से विधिवत करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया। जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अपसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त पूर्व मिसल संख्या 442/15 निर्णय दिनांक 7.9.2015 में पारित बेदखली आदेश के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त को जारी नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त के भाई से विधिवत करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहाँ तक अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा बयान पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त पूर्व मिसल संख्या 442/15 निर्णय दिनांक 7.9.2015 में पारित बेदखली आदेश के आधार पर हो जाती है। चूँकि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो, जहाँ तक विवादित भूमि पर कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि तहसीलदार खण्डार से तलब की गई मौका रिपोर्ट से हो जाती है जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर से अपीलान्त अपना कब्जा हटा लिया है। अर्थात् वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण नहीं वर्तमान में भूमि खाली है। ऐसी स्थिति में मैं, न्याय के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त को सजा की सीमा तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जाये।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के0सी0वर्मा)
जिलाकलेक्टर
सवाई माधोपुर